Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2013
(PHALGUNA. 9, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 28th February, 2013

No. 6—HLA of 2013/9.—The Pubjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill, 2013, *is hereby published for general information under proviso* to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 6—HLA of 2013

THE PUNJAB LABOUR WELFARE FUND (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Act, 2013. Short title

2. In sub-section (3) of section 4 of the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965 (hereinafter referred to as the principal Act), for the word "Chairman", the words "Chairperson and the Vice-Chairperson" shall be substituted. Amendment of section 4 of Punjab Act 17 of 1965.

Amendment of section 5 of Punjab Act 17 of 1965.

3. In section 5 of the principal Act,—

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Power of State Government to remove Chairperson, Vice-Chairperson and member from office in certain cases.";

(ii) for the word "Chairman", the words and signs "Chairperson, the Vice-Chairperson" shall be substituted;

(iii) for clause (a), for followiong clause shall be substituted, namely:—

"(a) absents himself from three consecutive meetings of the Board without permission of the Chairperson of the Board in the case of a member and of the State Government in the case of the Chairperson or Vice-Chairperson.".

Amendment of section 7 of Punjab Act 17 of 1965.

4. In section 7 of the principal Act,—

(i) in sub-section (2), for the word "Chairman", the words "Chairperson or the Vice-Chairperson"; shall be substituted;

(ii) in sub-section (3), for the word "Chairman", the words and sign "Chairperson, the Vice-Chairperson"; shall be substituted;

(iii) in sub-section (4), for the word "Chairman", the words "Chairperson or the Vice-Chairperson" shall be substituted.

Amendment of section 7A of Punjab Act 17 of 1965.

5. In section 7A of the principal Act,—

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Chairperson, Vice-Chairperson and members to hold office during the pleasure of the State Government.";

(ii) for the existing section, the following section shall be substituted, namely:—

"7 A. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Chairperson, Vice-Chairperson and the members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.".

Amendment of section 8 of Punjab Act 17 of 1965.

6. In section 8 of the principal Act,—

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The Chairperson and in his absence, the Vice-Chairperson and in the absence of both, a member of the Board nominated by the State Government shall preside at a meeting of the Board.";

(ii) in the proviso to sub-section (2), for the word "Chairman", the word "Chairperson" shall be substituted.

Amendment of section 10 of Punjab Act 17 of 1965

7. In clause (h) of sub-section (2) of section 10 of the principal Act, for the word "Chairman", the words and sign "Chairperson, the Vice-Chairperson" shall be substituted.

Amendment of section 10 of Punjab Act 17 of 1965

8. In section 22 of the principal Act, for the word "Chairman" the words "Chairperson and Vice-Chairperson", shall be substituted.

Amendment of section 27 of Punjab Act 17 of 1965.

9. In clause (c) of sub-section (2) of section 27 of the principal Act, for the word "Chairman", the words and sign "Chairperson, Vice-Chairperson" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Labour Welfare Board was constituted in 1970 under the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965 with the objective to start and run schemes for the welfare of the industrial workers and their dependants. Board is running various welfare schemes for the benefits of industrial workers. The number of labourers and number of industrial units is increasing day by day and as a result of which the work of the Board is also increasing. However, over the years it has been felt that a provision of the post of Vice-Chairperson should be made in the said Act in the larger interest of labourers for effective and smooth functioning of the Board, to assist the Chairperson and in his absence to preside over at a meeting of the Board. Thus, with a view to achieve this object, it has become essential to make the provision for the post of Vice-Chairperson in the said Act and for this it is proposed to carry out necessary amendments in the Act through this Bill.

Hence this Bill.

PT. SHIV CHARAN LAL SHARMA,
Minister of State for Labour,
Haryana.

Chandigarh :
The 28th February, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 6-एच० एल० ए०

पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2013

**पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1965,
हरियाणा राज्यार्थ
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है।

1965 के पंजाब अधिनियम 17 की धारा 4 का संशोधन

2. पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 4, की उपधारा (3) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

1965 के पंजाब अधिनियम 17 की धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,

(i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"कतिपय मामलों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य को पद से हटाने की राज्य सरकार की शक्ति।";

(ii) "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;

(iii) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(क) सदस्य के मामले में बोर्ड के अध्यक्ष तथा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में राज्य सरकार की अनुमति के बिना बोर्ड की क्रमवर्ती तीन बैठकों में वह स्वयं अनुपस्थित रहता है।"।

1965 के पंजाब अधिनियम 17 की धारा 7 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 में,

(i) उप-धारा (2) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उप-धारा (3) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;

(iii) उप-धारा (4) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

1965 के पंजाब अधिनियम 17 की धारा 7क का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 क में,—

(i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य का पद धारण करना।";

(ii) विद्यमान धारा के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"7क. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।"।

1965 के पंजाब अधिनियम 17 की धारा 8 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1) अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष तथा दोनों की अनुपस्थिति में, राज्य सरकार द्वारा नामित बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा।"।

1965 के पंजाब अधिनियम 17 की धारा 10 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

1965 के पंजाब अधिनियम 17 की धारा 22 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 22 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

1965 के पंजाब अधिनियम 17 की धारा 27 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में, "अध्यक्ष" के स्थान पर, "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

औद्योगिक श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के उद्देश्य से पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। औद्योगिक श्रमिकों तथा औद्योगिक संस्थाओं की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड के कार्य में भी बढ़ोतरी हो रही है। कई वर्षों से अनुभव किया जा रहा है कि श्रमिकों के बृहद हित में बोर्ड के कार्य के प्रभावी तथा सरल संचालन, सभापति को सहयोग करने तथा उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु उक्त अधिनियम में उप-सभापति के पद का प्रावधान किया जाये। इसलिए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उक्त अधिनियम में उप-सभापति के पद का प्रावधान किया जाना आवश्यक हो गया है और इसलिए विधेयक के माध्यम से अधिनियम में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

इस प्रकार यह विधेयक है।

पं० शिव चरण लाल शर्मा,
श्रम राज्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 28 फरवरी, 2013.

सुमित कुमार,
सचिव।

50870-H.V.S.-H.G.P., Chd.